3  72 वर्षों से संजोए हुए है लक्ष्मी पूजा परंपरा को

5  वैश्विक अनुभव से केंद्रीय नेतृत्व तक का सफर

7  MP@70: गौरव की विरासत,भविष्य की नई उड़ान

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 17 अंक : 24 प्रति सोमवार, 2 नवंबर 2026 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

छत्तीसगढ़ के इंटेलिजेंस चीफ अमित कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार, दिये आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश

जिसके हाथ में खुफिया तंत्र की कमान, उसी पर कोर्ट में गलत तथ्य पेश करने के आरोप



कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने इंटेलिजेंस चीफ जैसे महत्वपूर्ण पद पर एक ऐसे गैर जिम्मेदार, लापरवाह और भ्रष्टाचारी अफसर एडीजी आईपीएस अमित कुमार को काबिज कर दिया है जो पूरी तरह से विफल साबित होते दिखाई दिए हैं। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालत में गलत तथ्य पेश करने और झूठे साक्ष्य के आरोप में अमित कुमार सहित अन्य पांच अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में हलचल मच गई है। महज कुछ पैसों के लालच में आकर अमित कुमार ने कोर्ट में जज के सामने गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर आरोपी को सजा से बचाने जैसा घिनौना अपराध किया है।



कोर्ट में प्रस्तुत किया गलत एफ़िडेविट

दरअसल यह मामला उस समय का है जब भ्रष्टाचारी अफसर अमित कुमार दिल्ली में सीबीआई में पदस्थ थे। उस समय आईआरएस अधिकारी अशोक कुमार अग्रवाल पर आय से अधिक संपत्ति का एक केस दर्ज हुआ था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 जनवरी 2016 को सीबीआई की स्वीकृति को अमान्य कर दिया था, जिसके बाद 10 मार्च 2016 को विशेष अदालत ने अग्रवाल को डिस्चार्ज कर दिया। इसके बाद अग्रवाल ने अपने जब्त दस्तावेज वापस मांगने की याचिका लगाई। सीबीआई ने 02 अगस्त 2016 को कोर्ट में जवाब दिया कि कानून मंत्रालय से आगे की कानूनी कार्रवाई पर बातचीत जारी है। जबकि सच्चाई यह थी कि कानून मंत्रालय 08 जून 2016 को ही अपनी राय दे चुका था कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने का कोई ठोस आधार नहीं है। न्यायमूर्ति मधु जैन ने 06 अक्टूबर 2026 को आदेश में कहा कि संबंधित दस्तावेज और विभागीय फाइलें प्रथम दृष्टया कार्यवाई के लिए पर्याप्त आधार हैं। (शेष पेज 2 पर)

मुख्यमंत्री साय सरकार ने छत्तीसगढ़ में किसान कल्याण को दी नई गति

कृषि विविधीकरण से लेकर धान के दाम तक सरकार के बड़े कदम

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहां की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण जीवन और सामाजिक संरचना में खेती-किसानी की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश के किसानों की मेहनत और कृषि उत्पादन राज्य की आर्थिक प्रगति का आधार हैं। मुख्यमंत्री डॉ. विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसान कल्याण को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करते हुए कृषि को लाभकारी बनाने, किसानों की आय बढ़ाने, कृषि लागत कम करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनेक पहल की हैं। सरकार की नीतियों में धान उत्पादक किसानों को उचित मूल्य दिलाने के साथ खेती को आधुनिक, विविधतापूर्ण और तकनीक आधारित बनाने पर विशेष जोर दिखाई देता है। सरकार की किसान केंद्रित नीतियों का प्रमुख आधार कृषक उन्नति योजना है। इस योजना के माध्यम से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त अंतर राशि उपलब्ध कराकर उनकी उपज का प्रभावी मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। इससे किसानों को बाजार मूल्य के उतार-चढ़ाव से राहत देने और कृषि कार्यों के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिली है।



कृषक उन्नति योजना से किसानों को हजारों करोड़ की सहायता

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने कृषक उन्नति योजना को किसान कल्याण के प्रमुख माध्यम के रूप में आगे बढ़ाया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में प्रदेश में 25 लाख 24 हजार से अधिक किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया। सरकार ने समर्थन मूल्य और 3100 रुपये प्रति क्विंटल की प्रभावी दर के बीच की अंतर राशि के भुगतान के लिए लगभग 10 हजार करोड़ रुपये जारी करने का निर्णय लिया। (शेष पेज 2 पर)

PWD के उपयंत्री रितेश शर्मा ने सरकारी आवासों के बिजली कामों में किया भ्रष्टाचार

शर्मा ने कल्पना कंस्ट्रक्शन को नियमित तौर पर अलग-अलग फर्जी कार्यों और बिल के आधार पर किया 100 करोड़ से अधिक का भुगतान

-विजया पाठक

लोक निर्माण विभाग में विद्युत कार्यों के टेंडर, माप पुस्तिकाओं और भुगतान प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाने वाली शिकायतों ने विभागीय जवाबदेही पर सवाल खड़े किए हैं। दरअस्ल विभाग में पदस्थ उपयंत्री रितेश शर्मा ने ठेकेदार मित्र के साथ मिलकर कई वर्षों तक विभाग और सरकार को करोड़ों रुपयों का चूना लगाया है। हद तो तब हो गई जब रितेश शर्मा ने बगैर कोई कार्य किए ही 10 करोड़ से अधिक के भुगतान अलग-अलग समय पर एक ही एजेंसी ''कल्पना कंस्ट्रक्शन'' को कर दिए। इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार का खुलासा सूचना के अधिकार के नियम के तहत प्राप्त पत्र के माध्यम से हुआ। जगत विजन को मिले दस्तावेज के अनुसार वर्ष 2019 में की गई शिकायत और वर्ष 2020 में जारी शासकीय पत्रों से सामने आता है कि उपयंत्री रितेश शर्मा तथा कल्पना कंस्ट्रक्शन के संबंध में आर्थिक अनियमितताओं के आरोपों की जांच कराने की मांग की गई थी।



(शेष पेज 3 पर)

इंटेलिजेंस चीफ पर गंभीर आरोप, क्या साय सरकार लेगी कोई फैसला?

बलौदा बाजार की हिंसक घटना ने एडीजी इंटेलीजेंस की ताकत की खोली पोल

(पेज 1 का शेष)

सूत्रों के अनुसार अमित कुमार ने अशोक कुमार अग्रवाल के दुश्मनों से करोड़ों रूपये की डील की और जानबूझकर कोर्ट में गलत एफ़िडेविट प्रस्तुत कर दिया, जिसकी जानकारी जैसे ही अशोक कुमार को लगी तो उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अपने जब्त दस्तावेज वापस देने का आवेदन लगाया। अब दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ के इंटेलिजेंस चीफ़ अमित कुमार पर धारा 191/193 और 209 के तहत शिकायत दर्ज करने के निर्देश दिये हैं।

जानबूझकर कानून मंत्रालय की राय छिपाई

अशोक अग्रवाल ने धारा 340 के तहत सीबीआई अधिकारियों पर गलत हलफ़नामा देने का आरोप लगाया। विशेष अदालत (राऊज एवेन्यू कोर्ट) ने 25 अक्टूबर 2025 को आवेदन खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने पाया कि 02 अगस्त 2016 को कोर्ट में तथ्यात्मक रूप से गलत जवाब दाखिल किया गया। कानून मंत्रालय की राय को जानबूझकर छिपाया गया। जांच में सामने आया कि तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर विनीत विनायक ने फाइल में रखे इंटरनल ड्राफ्ट लेटर में नीली स्याही से कटिंग की थी, जिसका स्क्रीनशॉट अब कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा है।

छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारी हैं अमित कुमार

छत्तीसगढ़ कैडर के 1998 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमित कुमार वर्तमान में इंटेलिजेंस चीफ के पद पर हैं। लगभग 12 साल तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीबीआई में संयुक्त निदेशक और एंटी-करप्शन विंग जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए अमित कुमार ने एक नहीं कई बार बड़ी गलतियां की। अमित कुमार कोयला घोटाला की जांच के दौरान सीबीआई की तरफ से नोडल अधिकारी थे। उन्होंने यहां भी बड़ा भ्रष्टाचार का जाल बुना था, जिसकी जानकारी जैसे ही वर्तमान मोदी सरकार और गृहमंत्री अमित शाह को पड़ी तो उन्होंने तुरंत उन्हें प्रतिनियुक्ति से वापस छत्तीसगढ़ भेज दिया। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उन्हें अमित कुमार जैसे नाकाबिल और भ्रष्टाचारी अफसर को प्रदेश के इंटेलिजेंस प्रमुख का इतना महत्वपूर्ण काम सौंपना पड़ा।

एडीजी इंटेलिजेंस के संरक्षण में हुई अफीम की खेती

अमित कुमार के इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी विफलता का उदाहरण है दुर्ग जिले के समोदा गांव में मक्के की खेती के बीच बड़े पैमाने पर अफीम की अवैध खेती का होना। यह खेती भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के खेत पर हो रही थी। चर्चा है कि इस गोरखधंधे में अमित कुमार का संरक्षण है। यही कारण है पुलिस ने इस पूरे मामले में कोई कार्यवाही नहीं की। मक्के की फसल के बीच करीब 05 से 06 एकड़ में अफीम की लहलहाती फसल उगाई गई।

बलौदा बाजार का हिंसक प्रदर्शन बड़ा फेल्योर

छत्तीसगढ़ के इंटेलिजेंस का एक और सबसे बड़ा फेल्योर था बलौदा बाजार का उग्र प्रदर्शन। इंटेलिजेंस को इस प्रदर्शन की भनक तक नहीं लगी और राज्य में इतना हिंसक प्रदर्शन हो गया। खास बात यह कि इंटेलीजेंस की फेल्योर का खामियाजा यह हुआ कि प्रदर्शनकारियों ने 200 से अधिक दोपहिया, 50 चार पहिया वाहनों को भी जला दिया। बाद में खानापूर्ति करते हुए पुलिस ने लगभग 100 लोगों को गिरफ्तार किया और कुछ दिनों में उन्हें रिहा कर दिया। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार बलौदा बाजार में होने वाले इस हिंसक प्रदर्शन की जानकारी एडीजी इंटेलिजेंस अमित कुमार को थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इस जानकारी को हल्के में लिया और कुछ दिन बाद ही राज्य में इतनी बड़ी घटना घट गई।

अमित कुमार का विफल नेटवर्क

1.जबसे अमित कुमार को इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी सौंपी गई है, आंदोलन और धरना प्रदर्शन सहित कई बड़ी घटनाएं बढ़ गई हैं। अमित का इंटेलिजेंस नेटवर्क विफल है और वे इस पद के लिए काबिल व्यक्ति नहीं हैं।

2.हसदेव अरण्य के जंगलों में पेड़ों की कटाई और प्रस्तावित कोयला खनन परियोजनाओं के खिलाफ उग्र विरोध प्रदर्शन जारी है।

3.छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक के विरोध में अप्रैल 2026 में ईसाई समुदाय और विभिन्न संगठनों ने रैलियां निकालीं। इसकी भनक भी इंटेलिजेंस को नहीं लग पायी।

4.प्रदेश किसान संघ के नेतृत्व में 'दाम सत्याग्रह' और 'किसान भुगतान यात्रा' के तहत राज्यव्यापी प्रदर्शन शुरू किए हैं। इन प्रदर्शनों के बारे में भी इंटेलिजेंस को ख़बर नहीं लगी और यही अमित कुमार का फेलियर है।

मुख्यमंत्री साय सरकार ने छत्तीसगढ़ में किसान कल्याण को दी नई गति

(पेज 1 का शेष)

28 फरवरी 2026 को बिलासपुर जिले के रहांगी में आयोजित किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने 25.28 लाख किसानों के बैंक खातों में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 10,324 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की। इसके साथ ही पिछले दो वर्षों में इस योजना के माध्यम से किसानों को दी गई कुल अंतर राशि लगभग 35 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचने की बात सरकार ने कही है। यह राशि किसानों के लिए खेती की अगली तैयारी, कृषि उपकरणों, खाद-बीज और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में सहायक बन रही है।

3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों में से एक है। सरकार ने प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की व्यवस्था के साथ 3100 रुपये प्रति क्विंटल की प्रभावी दर का प्रावधान किया है। इससे धान उत्पादक किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए भी सरकार ने धान खरीदी की व्यापक तैयारियां शुरू की हैं। 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक खरीदी प्रस्तावित है। इस व्यवस्था के तहत 27.50 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। धान खरीदी की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 360 नए उपार्जन केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इससे प्रदेश में खरीदी केंद्रों की संख्या 2740 से बढ़कर 3100 हो जाएगी। नए केंद्रों से किसानों को दूरस्थ समितियों तक धान ले जाने की परेशानी और परिवहन खर्च कम होने की उम्मीद है।

डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शी होगी खरीदी

सरकार धान खरीदी में तकनीक के उपयोग को भी बढ़ावा दे रही है। टोकन व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए तुंहर टोकन मोबाइल एप के माध्यम से घर बैठे टोकन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराने की पहल की गई है। एग्रीस्टैक आईडी, डिजिटल फसल सर्वेक्षण और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से पंजीयन और खरीदी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य वास्तविक किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और उपार्जन केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ तथा इंतजार कम करना है।

कृषि बजट में 10 हजार करोड़ का प्रावधान

किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही कृषि पंपों के लिए विद्युत सब्सिडी पर 5500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य किसानों को उत्पादन लागत में राहत देना और कृषि गतिविधियों को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना है। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान, उन्नत बीज, आधुनिक तकनीक और कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के लिए 250 करोड़ रुपये तथा उद्यानिकी विश्वविद्यालय के लिए 170 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के लिए 170 करोड़ और एकीकृत उद्यानिकी विकास मिशन के लिए 150 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इन प्रावधानों से कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन विकास की संभावनाओं को मजबूती देने का प्रयास है।

धान के साथ दूसरी फसलों को भी प्रोत्साहन

छत्तीसगढ़ की कृषि व्यवस्था में धान का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन किसानों की आय में स्थायी वृद्धि के लिए फसल विविधीकरण भी आवश्यक है। इसी दिशा में सरकार ने कृषक उन्नति योजना में बदलाव करते हुए धान के लिए इनपुट सहायता को प्रति क्विंटल के स्थान पर प्रति एकड़ के आधार पर देने की व्यवस्था को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य किसानों को दलहन, तिलहन, उद्यानिकी और अन्य वैकल्पिक फसलों की ओर प्रोत्साहित करना है। प्रदेश में रबी फसलों का रकबा बढ़ाने, दलहन और तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। कृषि विशेषज्ञों की सहायता, मृदा परीक्षण, उन्नत बीज और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से किसानों को खेती में नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

पशुपालन और डेयरी से किसानों की अतिरिक्त आय

किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए केवल फसल उत्पादन पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन और उद्यानिकी जैसी गतिविधियां ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। सरकार ने एकीकृत डेयरी विकास योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे दुग्ध उत्पादन, पशुपालकों को सुविधाएं, दुग्ध संग्रहण और प्रसंस्करण व्यवस्था को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण दुग्ध उत्पादक समूहों की भागीदारी बढ़ाकर किसानों को दूध के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की संभावनाएं विकसित की जा रही हैं। गन्ना उत्पादकों के लिए भी 90 करोड़ रुपये का बोनस प्रावधान किया गया है। इससे कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विविधता देने का प्रयास है।

सिंचाई, बिजली और कृषि अधोसंरचना पर जोर

खेती की लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई तथा बिजली की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने कृषि पंपों को बिजली सब्सिडी देने के लिए बजट में 5500 करोड़ रुपये रखे हैं। इसके माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए आर्थिक राहत उपलब्ध कराने का प्रयास है। इसके साथ ही जल संरक्षण, वाटरशेड विकास और उद्यानिकी आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजनाएं बनाई गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित लघु उद्योगों और प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी विकसित हो सकते हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि किसान अपनी उपज का केवल प्राथमिक उत्पादन ही नहीं करें, बल्कि उसका प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन करके अधिक लाभ प्राप्त करें।

किसान की समृद्धि से गांवों का विकास

छत्तीसगढ़ सरकार की किसान कल्याण संबंधी पहलों का एक महत्वपूर्ण पहलू ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी है। किसान की आमदनी बढ़ने से ग्रामीण बाजारों में मांग बढ़ती है। इससे कृषि उपकरण, खाद-बीज, परिवहन, व्यापार और छोटे उद्योगों से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलता है। महिला स्व-सहायता समूहों को कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और पशुपालन से जोड़ने की संभावनाएं भी ग्रामीण विकास को नई दिशा दे रही हैं।प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से पात्र किसानों को केंद्र सरकार की ओर से प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की सहायता भी मिल रही है। राज्य की योजनाओं और केंद्र सरकार की किसान हितैषी पहलों के समन्वय से किसानों को आर्थिक संबल देने का प्रयास किया जा रहा है।

कृषि को लाभकारी बनाने की दिशा में आगे बढ़ता छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसान कल्याण को केवल धान खरीदी तक सीमित न रखते हुए कृषि के व्यापक विकास से जोड़ने की पहल की है। कृषक उन्नति योजना, बेहतर समर्थन मूल्य, उपार्जन केंद्रों का विस्तार, कृषि पंपों पर सब्सिडी, फसल विविधीकरण, डेयरी विकास और कृषि अनुसंधान में निवेश इसी दिशा के महत्वपूर्ण कदम हैं। हालांकि कृषि के सामने जलवायु परिवर्तन, लागत में वृद्धि, बाजार की अनिश्चितता, छोटे जोत वाले किसानों की चुनौतियां और फसल विविधीकरण जैसी समस्याएं भी हैं। इनका स्थायी समाधान सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, आधुनिक तकनीक, मजबूत विपणन व्यवस्था और कृषि आधारित उद्योगों के विकास से ही संभव है।

कई बड़े आईएएस अफसरों के साथ मिलकर इवेंट एजेंसी चला रहा है उपयंत्री रितेश



(पेज 1 का शेष)

शिकायत में सरकारी आवासों में विद्युत कार्यों, कथित फर्जी माप, पुराने कार्यों को नया बताकर भुगतान कराने और टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। अफसोस इस बात का है कि इस हद तक भ्रष्टाचार करने के बाद भी विभाग ने निलंबन जैसी कार्यवाही करने के बजाय उन्हें अलग-अलग विभागों में प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया।

भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति का है उपयंत्री शर्मा

विभागीय सूत्रों के अनुसार उपयंत्री रितेश शर्मा की नियुक्ति वर्ष 2008 में हुई। मूलरूप से ग्वालियर जिले के रितेश शर्मा ने हमेशा से अपने आप को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का करीबी बताया। यही कारण है कि उन्होंने मंत्री और अफसरों का रौब दिखाते हुए पहले फर्जी ढंग से कल्पना कंस्ट्रक्शन को विभाग में इम्पैनल करवाया और उसके बाद धीरे-धीरे उसे काम देना शुरू किया। रितेश शर्मा के इस कारनामे का अंदेशा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को चल गया था। लेकिन उन्होंने भी आंख और कान बंद कर रितेश शर्मा के साथ मिलकर इस पूरे भ्रष्टाचार को पनपने दिया। कुल मिलाकर रितेश शर्मा की प्रवृत्ति नियुक्ति के समय से ही भ्रष्टचारी वाली रही है।

ईओडब्ल्यू में दर्ज हुआ केस लेकिन सज़ा अब तक नहीं हुई

इसे हमारे सिस्टम की विफलता ही कहा जा सकता है। एक भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ ईओडब्ल्यू में केस दर्ज होने के बाद भी उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, भोपाल से 24 सितंबर 2020 को प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के नाम पर पत्र जारी किया गया था। पत्र क्रमांक 2287/1826/2020/स्था/19 में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल से प्राप्त पत्र का उल्लेख करते हुए शिकायत से संबंधित जांच प्रतिवेदन शीघ्र भेजने के निर्देश दिए गए थे। पत्र में 24 जून 2020 के संदर्भ का भी उल्लेख है। साथ ही शिकायत के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने और विभाग को उससे अवगत कराने के लिए कहा गया था। जब मामला खुला तो विभाग ने खाना पूर्ति करते हुए भ्रष्टाचारी रितेश शर्मा को भोपाल स्मार्ट सिटी कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया। यही नहीं भ्रष्टचारी रितेश शर्मा ने यहां भी आदतन ढंग से भ्रष्टाचार का जाल फैलाना चाहा लेकिन यहां उनकी दाल नहीं गल सकी और उन्हें कुछ ही वर्षों में यहाँ से विदा कर दिया गया। रितेश शर्मा वर्तमान में विधानसभा में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं। अब सवाल यह है कि इस पत्र के बाद जांच किस स्तर तक पहुंची और अपराधी उपयंत्री रितेश शर्मा पर कोई कारवाही क्यों नहीं की गई। चर्चा है कि रितेश शर्मा के इस कारनामे में विभाग के कई वरिष्ठ अफसर शामिल हैं। यहां तक कि मंत्री राकेश सिंह का संरक्षण होने की चर्चा मंत्रालय के गलियारों में हो रही है।

आईएएस अफसरों से दोस्ती कर फैलाया भ्रष्टाचार का जाल

जानकारी के अनुसार रितेश शर्मा ने लंबे समय तक भोपाल स्थित चार इमली क्षेत्र में बिजली मेन्टेनेंस का कार्य देखा। यही उन्होंने काम के चलते कई बड़े आईएएस अफसरों से दोस्ती की और धीरे-धीरे उन्होंने कुछ आईएएस अफसरों के साथ मिलकर अघोषित रूप से इवेंट एजेंसी शुरू कर दी। जिसके माध्यम से वे कई विभागों के इवेंट में सक्रिय भूमिका निभाने लगे। इस तरह से रितेश शर्मा के भ्रष्टाचार की जड़ें और फैलती चली गईं। हम अपनी अगली पोस्ट में आपको उन अफसरों के नाम भी बताएंगे जिनके साथ मिलकर उपयंत्री रितेश शर्मा ने भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। यही नहीं शिकायती पत्र के अनुसार रितेश शर्मा के इशारे पर विद्युत कार्यों की माप बढ़ाकर दर्ज की गई और पुराने कार्यों को नए कार्य के रूप में प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त किया गया।

छत्तीसगढ़ के किसानों को मिली किसान सम्मान निधि

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. रायपुर। दीपावली से पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी होने से छत्तीसगढ़ सहित देशभर के पात्र किसानों को आर्थिक सहायता मिली है। छत्तीसगढ़ में इस अवसर पर विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। किसानों ने वेबकास्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा और सम्मान निधि की राशि अंतरित होने की प्रक्रिया से जुड़े। इन कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को योजना की जानकारी देने तथा पात्र हितग्राहियों तक इसका लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। कोरिया जिले में कलेक्टर श्रीमती रोकितमा यादव के मार्गदर्शन में कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों, बड़ी संख्या में किसान हितग्राहियों तथा कृषि विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों ने सहभागिता की। कृषि विभाग के उप संचालक राजेश भारती के अनुसार, जिले के 31,637 किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से कुल 6.36 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई। इससे पहले योजना की 23वीं किस्त के अंतर्गत जिले के 32,870 किसानों को 6.37 करोड़ रुपये का लाभ मिला था। सम्मान निधि की राशि किसानों के लिए खेती-किसानी के कार्यों के साथ घरेलू जरूरतों को पूरा करने में भी सहायक बन रही है। कोरिया जिले के किसानों ने बताया कि दीपावली के पहले मिली यह आर्थिक सहायता उनके लिए उपयोगी है। ग्राम ढोढ़ीबहरा, पंचायत अमरपुर निवासी 61 वर्षीय किसान रामनारायण इस राशि का उपयोग खेती-किसानी और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में करेंगे। सलका निवासी किसान श्यामलाल चिकनजुरी ने बताया कि सम्मान निधि की राशि बच्चों की पढ़ाई, खेती-किसानी और रोजमर्रा के खर्चों में मददगार होगी। वहीं, ढोढ़ीबहरा पंचायत निवासी 50 वर्षीय किसान भईयालाल सोनवानी धान की कटाई और मिसाई सहित खेती के जरूरी कार्यों में इस राशि का उपयोग करेंगे।



72 वर्षों से परंपरा को संजोए हुए है दासबाड़ी की कोजागरी लक्ष्मी पूजा

-अमित राय

जगत प्रवाह. हावड़ा। हावड़ा के सलकिया स्थित 68 नंदीबागान बाई लेन में आयोजित ऐतिहासिक दासबाड़ी कोजागरी लक्ष्मी पूजा ने वर्ष 2026 में अपना 72वाँ वर्ष पूरा किया। यह सात दशकों से अधिक समय से चली आ रही एक गौरवशाली पारिवारिक परंपरा का प्रतीक है। हावड़ा की सबसे पुरानी कोजागरी लक्ष्मी पूजाओं में से एक मानी जाने वाली इस पूजा की विशेषता पारंपरिक धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन और अपनी धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के प्रति परिवार की प्रतिबद्धता है। इस पूजा की शुरुआत फणीभूषण दास ने की थी। उनके निधन के बाद पूजा के आयोजन की जिम्मेदारी उनके भाई सुबल चंद्र दास ने संभाली। वर्तमान में यह परंपरा स्वर्गीय सुबल चंद्र दास के पुत्र, अधिवक्ता बप्पादित्य दास, उनकी माता मीना दास और बहन तनुश्री दास के सहयोग से आगे बढ़ रही है। इस पूजा का भट्टाचार्य पुरोहित परिवार के साथ भी लंबे समय से संबंध रहा है। निबारन भट्टाचार्य इस परिवार के मूल पुरोहित थे। उनके बाद उनके पुत्र विजय भट्टाचार्य इस







परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और वर्तमान में पूजा के धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराते हैं। 72वीं वार्षिक कोजागरी लक्ष्मी पूजा का आयोजन रविवार 25 अक्टूबर, 2026 को किया गया। इसी दिन श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण भी किया गया। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक उत्सव जारी रहा और बुधवार 28 अक्टूबर, 2026 को मां लक्ष्मी की प्रतिमा के विसर्जन के साथ इसका समापन हुआ। इस अवसर पर स्थानीय निवासियों, पड़ोसियों, प्रतिष्ठित समाजसेवियों और विशिष्ट पत्रकारों की उपस्थिति ने इस आयोजन को स्थानीय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण सामुदायिक उत्सव बना दिया। पश्चिम बंगाल सरकार में नगर मामलों एवं संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री उमेश राय ने 27 अक्टूबर, 2026 को पूजा में भाग लिया। वे प्रत्येक वर्ष इस पूजा में शामिल होते हैं। उनकी नियमित उपस्थिति दासबाड़ी की कोजागरी लक्ष्मी पूजा के साथ उनके लंबे जुड़ाव तथा सलकिया, हावड़ा की इस धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के प्रति उनके संबंध को दर्शाती है। दासबाड़ी परिवार द्वारा इस पूजा का निरंतर आयोजन उनकी अटूट आस्था, पारिवारिक विरासत और पारंपरिक बंगाली धार्मिक रीति-रिवाजों को आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रखने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

सम्पादकीय

सत्ता का गणित, लोकतंत्र की परीक्षा और क्षेत्रीय शांति की चुनौती

इजराइल का ताजा चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन या राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा का मामला नहीं है, बल्कि यह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और पश्चिम एशिया के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। 27 अक्टूबर 2026 को हुए संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन भी सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया। परिणामस्वरूप इजराइल की राजनीति एक बार फिर अनिश्चितता के दौर में प्रवेश कर गई है। इजराइल की 120 सदस्यीय संसद नेसेट में सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। शुरुआती चुनावी अनुमानों के अनुसार नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को 27 सीटें मिली हैं और उनके सहयोगी दलों सहित गठबंधन का आंकड़ा 53 तक पहुंचा है। विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाले खेमे को 48 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अरब नेतृत्व वाले दलों ने 19 सीटें हासिल की हैं। इस प्रकार किसी भी खेमे के पास अपने दम पर सरकार बनाने लायक संख्या नहीं है। अंतिम परिणामों की घोषणा के बाद गठबंधन की राजनीति और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश यह है कि इजराइल का मतदाता अब केवल सुरक्षा और सैन्य शक्ति के आधार पर अपना राजनीतिक निर्णय नहीं कर रहा, बल्कि वह शासन की जवाबदेही, युद्ध की कीमत, आर्थिक स्थिति और देश के भविष्य को लेकर भी सवाल उठा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इजराइल ने गाजा युद्ध, हमास के साथ संघर्ष, ईरान के साथ तनाव और क्षेत्रीय अस्थिरता का सामना किया है। इन परिस्थितियों ने देश की राजनीति और समाज दोनों को प्रभावित किया है।

प्रधानमंत्री नेतन्याहू लंबे समय से इजराइल की राजनीति के केंद्रीय चेहरे रहे हैं। उनके समर्थक उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा और मजबूत नेतृत्व का प्रतीक मानते हैं, जबकि विरोधी दल उनके शासन, युद्ध संबंधी फैसलों और राजनीतिक जवाबदेही पर सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में चुनाव परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इजराइली समाज में राजनीतिक मतभेद गहरे हैं। किसी एक राजनीतिक धड़े के पक्ष में निर्णायक जनादेश का अभाव इसी विभाजन को दर्शाता है। इस चुनाव में अरब नेतृत्व वाले दलों का 19 सीटों तक पहुंचना भी उल्लेखनीय है। यह इजराइल की संसदीय राजनीति में अरब नागरिकों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व के बढ़ते महत्व को सामने लाता है। हालांकि इन दलों की भूमिका सरकार गठन में कितनी प्रभावी होगी, यह आने वाले दिनों की राजनीतिक बातचीत पर निर्भर करेगा। इजराइल की राजनीति में गठबंधन बनाना केवल सीटों का जोड़ नहीं है, बल्कि विचारधाराओं, सुरक्षा संबंधी प्राथमिकताओं और राजनीतिक शर्तों के बीच संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया भी है। इजराइल में राष्ट्रपति की भूमिका भी इस समय महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग को अंतिम चुनाव परिणामों के बाद राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श कर उस सांसद को सरकार बनाने का अवसर देना है, जिसके पास बहुमत जुटाने की बेहतर संभावना होगी। इसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया के तहत समय निर्धारित है। यदि कोई भी नेता सरकार बनाने में सफल नहीं होता है तो देश को दोबारा चुनाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

भारत के दृष्टिकोण से भी इजराइल के राजनीतिक घटनाक्रम का विशेष महत्व है। दोनों देशों के बीच रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, विज्ञान, तकनीक और व्यापार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सहयोग है। भारत की विदेश नीति का आधार रणनीतिक स्वायत्तता, राष्ट्रीय हित और क्षेत्रीय शांति है। इसलिए इजराइल में बनने वाली नई सरकार के साथ इन संबंधों की निरंतरता महत्वपूर्ण होगी। साथ ही पश्चिम एशिया में स्थिरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा और वहां रहने वाले लाखों भारतीयों के हितों से भी जुड़ी है। नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल सत्ता का स्थायित्व नहीं, बल्कि युद्ध और शांति के बीच संतुलन स्थापित करना होगा।

सियासी गहमागहमी

भाजपा संगठन में नियुक्तियां बनीं खींचतान का कारण

मध्यप्रदेश भाजपा संगठन में लंबे समय से लंबित नियुक्तियों को लेकर अंदरूनी खींचतान तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। प्रदेश संगठन में विभिन्न पदों, मोर्चों, प्रकोष्ठों और निगम-मंडलों में जिम्मेदारियां पाने के लिए नेताओं की दावेदारी लगातार बढ़ रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर क्षेत्रीय स्तर के पदाधिकारी तक अपने समर्थकों को संगठन में जगह दिलाने के प्रयास में जुटे हैं। ऐसे में नियुक्तियों का मामला केवल योग्यता और संगठनात्मक अनुभव तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि गुटीय समीकरण भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सत्ता और संगठन के बीच समन्वय बनाने की चुनौती भी कम नहीं है। एक ओर लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे कार्यकर्ता सम्मानजनक जिम्मेदारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रभावशाली नेताओं की पसंद को प्राथमिकता मिलने की चर्चाएं हैं। यही वजह है कि नियुक्तियों की सूची बार-बार अटकने की स्थिति बन रही है। पार्टी नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती सभी क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को साधते हुए संतुलन बनाने की है। यदि नियुक्तियों में लगातार देरी होती है तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी बढ़ सकती है। अब देखना होगा कि संगठन में किसकी पसंद चलती है और किसे इंतजार करना पड़ता है।

कमलनाथ ने भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा सरकार को घेरा

मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के दावों के बावजूद सरकारी विभागों में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ रही हैं। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर निर्माण कार्यों और सरकारी खरीद तक पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कमलनाथ का राजनीतिक हमला केवल वर्तमान सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि वे भाजपा के पिछले कार्यकालों को भी निशाने पर लेते रहे हैं। उनका कहना है कि जनता ने विकास और सुशासन की उम्मीद में सरकार चुनी थी, लेकिन उसे जवाबदेही और पारदर्शिता के सवालों से जूझना पड़ रहा है। दूसरी ओर भाजपा इन आरोपों को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताती रही है। अब असली सवाल यह है कि सरकार आरोपों का जवाब केवल राजनीतिक बयानबाजी से देगी या जांच और कार्रवाई के जरिए अपनी पारदर्शिता साबित करेगी।

हफ्ते का कार्टून



ट्वीट-ट्वीट

हर 7 में से 1 वोटर मिटा कर चुनाव आयोग ने कबूल लिया है कि 2024 का चुनाव illegitimate था।

ज्ञानेश और उनके साथी षड़यंत्रकारियों ने देशद्रोह किया है और इसके लिए उनपर कार्रवाई जरूर होगी।

-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi



मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार करने में डूबी हुई है और जनता का कोई काम नहीं कर रही है। भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर आज प्राथमिक शिक्षक वर्ग-3 के मेरिट होल्डर अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath



राजवीरों की बात

हरदीप सिंह पुरी: कूटनीति के वैश्विक अनुभव से केंद्रीय नेतृत्व तक का सफर

समता पाठक/जगत प्रवाह



हरदीप सिंह पुरी भारतीय राजनीति और प्रशासनिक क्षेत्र का ऐसा व्यक्तित्व हैं, जिनकी पहचान कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंधों, रणनीतिक समझ और सार्वजनिक जीवन के अनुभव से बनी है। करीब 39 वर्षों तक भारतीय विदेश सेवा में कार्य करने के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं। वर्तमान में वे भारत सरकार में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का पक्ष रखने से लेकर देश की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े नीतिगत विषयों पर काम करने तक उनका सफर विविध अनुभवों से भरा रहा है। हरदीप सिंह पुरी का जन्म 15 फरवरी 1952 को दिल्ली में हुआ। परिवार में शिक्षा और अनुशासन को विशेष महत्व दिया जाता था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित हिंदू कॉलेज से इतिहास विषय में स्नातक की पढ़ाई की। वर्ष 1971 में वे बीए ऑनर्स में प्रथम स्थान पर रहे। इसके बाद 1973 में इतिहास विषय में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। कॉलेज के दिनों से ही उनकी रुचि वाद-विवाद, सार्वजनिक वक्तृत्व और छात्र राजनीति में रही। वे हिंदू कॉलेज की छात्र संसद के प्रधानमंत्री भी निर्वाचित हुए। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज में इतिहास के व्याख्याता के रूप में भी कार्य किया। शिक्षा, अध्ययन और समसामयिक विषयों में रुचि ने उनके व्यक्तित्व को विश्लेषणात्मक दृष्टि प्रदान की।

वर्ष 1974 में हरदीप सिंह पुरी भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) में शामिल हुए। इसके साथ ही उनके अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। उन्होंने टोक्यो और कोलंबो सहित विभिन्न देशों में भारत के राजनयिक मिशनों में सेवाएं दीं। विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में भी महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वर्ष 1994 से 1997 के दौरान वे रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे। इस भूमिका में उन्होंने थल सेना, वायु सेना और नौसेना के बीच समन्वय तथा अंतरराष्ट्रीय रक्षा सहयोग से जुड़े विषयों पर काम किया। वे रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनने वाले पहले भारतीय विदेश सेवा अधिकारी थे। ब्रिटेन में भारत के उप उच्चायुक्त और बाजील में भारत के राजदूत के रूप में भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। इन पदों पर रहते हुए भारत के साथ व्यापार, निवेश, तकनीक, रक्षा और आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने में योगदान दिया।

हरदीप सिंह पुरी के राजनयिक जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा रहा। वर्ष 2002 से 2005 तक उन्होंने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। इसके बाद 2009 से 2013 तक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे। अगस्त 2011 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष का दायित्व संभाला। वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति के अध्यक्ष भी रहे। बहुपक्षीय कूटनीति, वैश्विक व्यापार वार्ताओं और आतंकवाद से संबंधित अंतरराष्ट्रीय विषयों पर उनके अनुभव को भारत के कूटनीतिक प्रयासों में महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेष रूप से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) और गैट से जुड़े विवाद समाधान तथा विकासशील देशों के व्यापारिक हितों के विषयों पर उन्होंने लंबे समय तक काम किया। 28 फरवरी 2013 को भारतीय विदेश सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद पुरी ने अंतरराष्ट्रीय नीति और शांति से जुड़े संस्थानों में अपनी भूमिका जारी रखी। वे न्यूयॉर्क स्थित इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष बने और इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन मल्टीलैटरलिज्म के महासचिव का दायित्व भी संभाला।

वर्ष 2014 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद उनका सार्वजनिक जीवन कूटनीति से राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों की ओर आगे बढ़ा। सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में उन्हें आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री बनाया गया। वर्ष 2019 में उन्हें नागरिक उड्डयन तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से जुड़ी अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी गईं। वर्ष 2020 में वे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। जुलाई 2021 में उन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इस दौरान उन्होंने आवास एवं शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। शहरी विकास के क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और शहरी परिवहन जैसे विषय उनके मंत्रालय की प्राथमिकताओं में रहे। जुलाई 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में भी उन्हें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस भूमिका में ऊर्जा सुरक्षा, कच्चे तेल के आयात के स्रोतों में विविधता, प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा, ऊर्जा की उपलब्धता और स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण जैसे विषय उनके कार्यक्षेत्र में शामिल हैं। भारत जैसे तेजी से बढ़ते देश के लिए ऊर्जा की निरंतर उपलब्धता आर्थिक विकास और औद्योगिक प्रगति से सीधे जुड़ी है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार, तेल उत्पादक देशों और वैश्विक कूटनीतिक संबंधों का उनका अनुभव इस मंत्रालय के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक राजनयिक के रूप में उन्होंने वैश्विक मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया और राजनीति में आने के बाद राष्ट्रीय विकास से जुड़े विषयों पर काम किया।

उनका सफर इस बात का उदाहरण है कि अंतरराष्ट्रीय अनुभव और प्रशासनिक समझ के साथ सार्वजनिक जीवन में नई जिम्मेदारियां किस प्रकार निभाई जा सकती हैं।

सिंधिया स्कूल स्थापना दिवस, दीपक राज मल्हार दीवान माधव अवॉर्ड से सम्मानित

ज्योतिरादित्य ने किया पॉडकास्ट रूम का उद्घाटन



-संतोष सिंह कुशवाह

जगत प्रवाह. ग्वालियर। सिंधिया स्कूल में स्थापना दिवस समारोह के अंतर्गत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, रचनात्मक प्रदर्शनी और पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने विज्ञान, कला, साहित्य और नवाचार से जुड़े मॉडल व कलाकृतियां प्रदर्शित कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। मुख्य अतिथि विवेक राघवन ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। समारोह में विद्यालय के प्राचार्य अजय सिंह ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस वर्ष का माधव अवॉर्ड दीपक राज मल्हार दीवान को प्रदान किया गया। वहीं, बैच ऑफ 2001 की ओर से विद्यालय को पॉडकास्ट रूम भेंट किया गया, जिसका उद्घाटन महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इस अवसर पर सिंधिया ने कहा कि सिंधिया राजघराने ने समाज के लिए अनेक कार्य किए हैं और इसी परंपरा में सिंधिया स्कूल की स्थापना हुई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि मशीन मशीन ही रहेगी, लेकिन मानवीयता सदैव बनी रहेगी। उन्होंने तकनीक केजी प्रति सतर्कता और उस पर नियंत्रण की आवश्यकता भी बताई। समारोह में विद्यार्थियों को शैक्षणिक उत्कृष्टता, खेलकूद और सर्वांगीण विकास के लिए सम्मानित किया गया। राजवीर अग्रवाल को उमंग माथुर मेमोरियल ट्रॉफी, युवराज सिंह को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एवं सर्वांगीण दक्षता के पुरस्कार मिले। अयान चिंतन शाह को गवर्नर्स मेडल, विशिष्ट वेंकटेश को फील्ड मार्शल करियप्पा शील्ड तथा श्रेष्ठ अग्रवाल को महाराजा जीवाजी राव सिंधिया पदक प्रदान किया गया। नवाचार के क्षेत्र में क्लियर फ्लो (ई-20 पेट्रोल रिफाइनिंग) परियोजना को सैम पित्रोदा पुरस्कार मिला। पर्यावरण संरक्षण के लिए अखंड प्रदीप राय तथा गुड सिटिजन अवॉर्ड के लिए प्रांजल शर्मा को सम्मानित किया गया। सदनों की प्रतियोगिताओं में रानोजी सदन ने खेलकूद और समग्र प्रदर्शन की शील्ड हासिल की, जबकि महादजी सदन शैक्षणिक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ रहा। समारोह में विद्यार्थियों ने संगीत और नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। इस अवसर पर उप-प्राचार्या स्मिता चतुर्वेदी, अभिभावक, शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित रहे।

अग्रवाल परिचय सम्मेलन में 230 परिवारों ने जोड़े रिश्ते



-संतोष सिंह कुशवाह

जगत प्रवाह. ग्वालियर। अग्रवाल परिचय सम्मेलन का 142वां आयोजन मानस भवन फूलबाग में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अशोक शर्मा अध्यक्ष साडा प्राधिकरण ग्वालियर, सुनील शर्मा मध्यप्रदेश महामंत्री कांग्रेस, विनय जैन जिला उपाध्यक्ष भाजपा, अंकित बंसल कोषाध्यक्ष युवा भाजपा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश ऐरन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। अशोक शर्मा ने कहा कि अग्रवैश्य समाज ने पूरे देश में सैकड़ों हास्पिटल एवं धर्मशाला बनाकर सेवा के क्षेत्र में अग्रणी कार्य किया है। इस अवसर पर सुनील शर्मा ने कहा निस्वार्थ सेवा आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। विनय जैन ने कहा कि रिश्तों को जोड़ना सबसे पवित्र और सामाजिक कार्य है राजेश ऐरन की पूरी टीम गत कई वर्षों से यह कार्य कर रहे हैं, युवा साथी अंकित बंसल ने सभी को सम्बोधित करते हुए कहा कि परिचय सम्मेलन को ग्वालियर से चलाकर पूरे देश में पहुंचाया है और अनेकों परिवारों को एक साथ जोड़ा है। आज मंच पर परिचय श्रीमती नीलम शाह राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्रीमती ज्योति अग्रवाल, श्रीमती संगीता अग्रवाल, पदमा अग्रवाल, मीरा अग्रवाल, मुकेश सिंघल, अनिल गर्ग ने कराया। दिनेश बंसल, मोनू गोयल, विनोद अग्रवाल, बृजमोहन अग्रवाल, राधाकृष्ण अग्रवाल, सुभाष अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, गोपाल जैन सहित कार्यक्रम में अनेकों अग्रबंधु शामिल हुए।



राष्ट्रीय मंच पर ग्वालियर की बेटी डॉ. सौम्या सप्रा ने जीता प्रथम पुरस्कार

-संतोष सिंह कुशवाह

जगत प्रवाह. ग्वालियर। राष्ट्रीय रेडियोलॉजी सम्मेलन USCON 2026 में ग्वालियर की डॉ. सौम्या सप्रा ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन में प्रथम पुरस्कार हासिल किया। इंदौर में आयोजित 34वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में देशभर से आए विशेषज्ञों के बीच उनके शोध पत्र को सर्वश्रेष्ठ चुना गया। प्रसिद्ध चिकित्सक दंपती डॉ. राहुल सप्रा और डॉ. सुरेखा सप्रा की पुत्री डॉ. सौम्या को सम्मेलन में IFUMB के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।

मतांतरित मुस्लिमों को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ



प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि यदि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई व्यक्ति मतांतरण कर आरक्षण का लाभ लेता है तो वह संविधान सम्मत नहीं है। अतएव आरक्षण का हकदार नहीं होगा। हालांकि यही फैसला मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडू सरकार के उस अहम् आदेष को रदद् करके दिया था, जिसके तहत हिंदू धर्म के पिछड़े, अति पिछड़े या अनुसूचित जाति वर्ग के लोग इस्लाम अपनाने के बाद भी 'पिछड़े वर्ग मुस्लिम' का जाति प्रमाण पत्र ले सकते थे। सरकारी नौकरी और षिक्षा में आरक्षण पा लेने की इस सुविधा को अब षीर्ष न्यायालय ने दो टूक षब्दों में असंवैधानिक ठहरा दिया है। अदालत ने कहा है कि मतांतरण के बाद हिंदू सामाजिक व्यवस्था से किसी गैर-हिंदू सामाजिक व्यवस्था में मतांतरण करने वाला व्यक्ति अपने पुराने सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर संविधान के अनुच्छेद-16 (4) के तहत आरक्षण पाने का दावा नहीं कर सकता। अदालत ने साफ किया कि इस्लाम स्वीकार कर लेने मात्र से कोई व्यक्ति राज्य के अधिसूचित मुस्लिम पिछड़ा वर्ग समुदायों में किसी एक का भी सदस्य नहीं बन सकता है। मतांतरण से पहले की जातिगत या संप्रदायगत पहचान को अपने आप किसी दूसरे धर्म के पिछड़ा वर्ग समुदाय में स्थांतरित नहीं किया जा सकता है। इसके आरक्षण के लाभ के अधिकारी केवल हिंदू, सिख और बौद्ध हैं। यह ऐतिहासिक फैसला न्यायामूर्ति प्रषांत कुमार मिश्रा और चंद्रशेखर की पीठ ने सुनाया है। उच्च न्यायालय मद्रास की पीठ ने तमिलनाडू सरकार के उस अहम् आदेष को रदद् कर दिया था, जिसके तहत हिंदू धर्म के पिछड़े, अति पिछड़े या अनुसूचित जाति वर्ग के लोग इस्लाम अपनाने के बाद भी 'पिछड़े वर्ग मुस्लिम' का जाति प्रमाण पत्र ले सकते थे। सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण पा लेने की इस सुविधा को न्यायालय ने दो टूक शब्दों में असंवैधानिक माना था। अदालत ने कहा था कि धर्म बदलने वाला व्यक्ति 'पिछड़ा वर्ग मुस्लिम' का दर्जा मांगने का अधिकार नहीं रखता है। क्योंकि मुस्लिम समाज में भी अलग-अलग समुदाय और वर्ग होते हैं, परंतु उनकी पहचान जन्म से तय होती है न कि धर्म परिवर्तन से? अदालत ने यह भी कहा था कि इस्लामिक उपदेशक और ईसाई मिशनरियां सदियों से यह प्रचार करती आई हैं कि उनके धर्मों में सामाजिक समानता है, जबकि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था एक बुनियादी विसंगति है। अतएव धर्म परिवर्तन के लिए ऐसा रुख अपनाने के बाद यह कहना बेईमानी है कि इस्लाम में भी ऊंच-नीच या वर्गभेद है। हमारी राय में कुछ मुस्लिम समुदायों को पिछड़ा और कुछ को अगड़ा मानना कुरान की शिक्षाओं के खिलाफ है। दरअसल इस्लाम एक ऐसा समाज बनाना चाहता है, जिसमें सब का दर्जा एक समान रहे। यह फैसला न्यायामूर्ति जीआर स्वामीनाथन और पीबी बालाजी की पीठ ने दिया था।



इस मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने तमिलनाडू सरकार के तीन मार्च 2024 के आदेष को आधार बनाया था। जिसमें आरक्षित श्रेणियों से धर्मांतरित लोगों को तमिलनाडू में अधिसूचित सात पिछडे वर्ग के मुस्लिम समूहों में से एक से संबंधित होने का सामुदायिक प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता था। सरकार ने अपने आदेष में यह प्रविधान किया था कि अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या डी-नोटिफाइड समुदायों से आने वाले व्यक्ति यदि इस्लाम धर्म अपनाते हैं तो उन्हें पिछड़ा वर्ग मुस्लिम की क्षेणी में आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। इस सिलसिले में सरकार का तर्क था कि धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे और सामाजिक संतुलन बना रहेगा। किंतु अदालत ने कहा कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं बल्कि, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन है।

संविधान के तीसरे अनुच्छेद, अनुसूचित जाति आदेश 1950 जिसे प्रेसिडेन्शियल आर्डर के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार केवल हिंदू धर्म का पालन करने वालों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इसी तारतम्य में पिछले पचास सालों से दलित ईसाई और दलित मुसलमान संघर्षरत रहते हुए हिंदू अनुसूचित जातियों को दिए जाने वाले अधिकारों की मांग करते चले आ रहे हैं। वर्तमान में मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई और बौद्ध ही अल्पसंख्यक दायरे में आते हैं। जबकि जैन, बहाई और कुछ दूसरे धर्म-समुदाय भी अल्पसंख्यक दर्जा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जैन समुदाय केन्द्र द्वारा अधिसूचित सूची में नहीं है। इसमें भाषाई अल्पसंख्यकों को अधिसूचित किया गया है, धार्मिक अल्पसंख्यकों को नहीं। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक माना गया है। परंतु इन्हें अधिसूचित करने का अधिकार राज्यों को है, केंद्र को नहीं। इन्हीं वजहों से आतंकवाद के चलते अपनी ही पुश्तैनी जमीन से बेदखल कश्मीरी पंडित अल्पसंख्यक के दायरे में नहीं आ पा रहे हैं। मध्यप्रदेश में दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकार के दौरान जैन धर्मावलंबियों को भी अल्पसंख्यक दर्जा दिया था, लेकिन अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली सुविधाओं से ये आज भी वंचित हैं।

संविधान के अनुच्छेद-342 में धर्म परिवर्तन के संबंध में अनुच्छेद-341 जैसे प्रावधान में लोच है। 341 में स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति (एससी) के लोग धर्म परिवर्तन करेंगे तो उनका आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इस कारण यह वर्ग धर्मांतरण से बचा हुआ है। जबकि 342 के अंतर्गत संविधान निर्माताओं ने जनजातियों के आदि मत और पुरखों की पारंपरिक सांस्कृतिक आस्था को बनाए रखने के लिए व्यवस्था की थी कि अनुसूचित जनजातियों को राज्यवार अधिसूचित किया जाएगा। यह आदेश राष्ट्रपति द्वारा राज्य की अनुशंसा पर दिया जाता है। इस आदेश के लागू होने पर उल्लेखित अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान सम्मत आरक्षण के अधिकार प्राप्त होते हैं। इस आदेश के लागू होने के उपरांत भी इसमें संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। इसी परिप्रेक्ष्य में 1956 में एक संशोधन विधेयक द्वारा अनुसूचित जनजातियों में धर्मांतरण पर प्रतिबंध के लिए प्रावधान किया गया था कि यदि इस जाति का कोई व्यक्ति ईसाई या मुस्लिम धर्म स्वीकारता है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। किंतु यह विधेयक पारित नहीं हो पाया है। अनुच्छेद 341 के अनुसार अनुसूचित जातियों के वही लोग आरक्षण के दायरे में हैं, जो भारतीय धर्म हिन्दू, बौद्ध और सिख अपनाने वाले हैं। गोया, अनुच्छेद-342 में 341 जैसे प्रावधान हो जाते हैं, तो अनुसूचित जनजातियों में धर्मांतरण की समस्या पर स्वाभाविक रूप से अंकुश लग जाएगा।

राज्यसभा में भाजपा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव द्वारा पुछे गए एक सवाल के जबाव में पूर्व विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि 'अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जिन लोगों ने इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लिया है, वे आरक्षण के लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं। यही नहीं ये लोग सरकारी नौकरियों के साथ-साथ संसद और विधानसभा के लिए आरक्षित सीटों पर भी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं माने जाएंगे। केवल हिन्दू, सिख और बौद्ध मत को मानने वाले लोग ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने की पात्रता रखेंगे। इन्हीं लोगों को सरकारी नौकरियों की पात्रता रहेगी।' उन्होंने आगे यह भी स्पष्ट किया था कि 'इस्लाम और ईसाई धर्म अपना चुके अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को संसद या विधानसभा चुनाव लड़ने से रोकने के लिए जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम में भी संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हिंदुत्व को मानने वाले और इस्लाम या ईसाई धर्म अपना चुके लोगों के बीच अधिनियम में पहले से ही स्पष्ट विभाजन रेखांकित है।' इस बयान से साफ हुआ था कि इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलित और बृहद हिंदू धर्म के तहत आने वाले दलितों के बीच अंतर साफ है। यदि कालांतर में कार्यपालिका और विधायिका में बिना किसी बाधा के इस बयान पर अमल की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो हिंदुओं में धर्म परिवर्तन थमने का सिलसिला शुरू हो जाता और इससे राष्ट्रवाद को मजबूती मिलती। क्योंकि ज्यादातर ईसाई व इस्लामिक संस्थाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य के बहाने हिंदुत्व और भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ों में मट्ठा घोलने के लिए विदेशी धन मिलता है।

साफ है, अब तक धर्म परिवर्तन कर अनुसूचित जातियों के अधिकार को छीनकर हकमारी कर रहे लोगों को वास्तव में आरक्षण के लाभ की पात्रता नहीं है। ऐसे जाति और धर्म बदलने के छद्म उपाय आरक्षण के मूल उद्देष्य के विरुद्ध होने के साथ संविधान के साथ धोखाधड़ी हैं। ये उपाय आरक्षण नीति के मौलिक समाजिक लक्ष्यों को कमजोर करते हैं। अतएव ऐसे उपाय हाषिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के उद्देष्य के तहत आरक्षण नीतियों की मूल भावना के विपरीत और उनके हक की चोरी करने वाले

अंतरराष्ट्रीय महोत्सव-2026 के समापन समारोह में मुख्यमंत्री हुए शामिल

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लेखक गाँव, थानों, देहरादून में आयोजित लेखक गाँव अंतरराष्ट्रीय महोत्सव-2026 के समापन समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लेखक गाँव की पत्रिका धरती का स्वर्ग उत्तराखंड एवं देवभूमि का काव्य पुष्प पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लेखक गाँव, समाज को दिशा देने वाले विचारों का प्रतीक है। जो वर्तमान के साथ भविष्य का निर्माण कर रहा है।उन्होंने कहा लेखक गांव, प्रदेश में स्थानीय प्रतिभाओं को नया मंच देने के साथ साहित्यिक मानचित्र पर राज्य को नई पहचान दे रहा है। उन्होंने भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण करते हुए कहा कि स्व. अटल जी शब्दों के साधक थे, उनकी लेखनी में पर्वतों सी दृढ़ता और गंगा सी गहराई थी। उन्होंने कहा अटल जी ने हमें सिखाया कि शब्द भी राष्ट्र निर्माण के शस्त्र बन सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड हमेशा से रचनात्मकता, ज्ञान और संस्कृति का केंद्र रही है। देवभूमि से निकले विचारों ने हमेशा समाज को प्रेरित और आगे बढ़ाने का काम किया है।उत्तराखंड में ऋषियों ने अनेक महान ग्रंथों की रचना की। उन्होंने कहा देवभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य ने हमेशा लेखकों, कवियों और विचारकों को प्रेरित करने का काम किया है। साहित्य ही हमारे मूल्यों और विचारों को दर्शाता है।

स्कूल बसों की मनमानी पर कब लगेगी लगाम? 1500 किराया देने वाले अभिभावकों का सवाल- बच्चों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा?

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. गाडरवारा। गाडरवारा से सालीचौका और आसपास के क्षेत्रों में स्कूली बच्चों के बस किराए तथा उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को स्कूल भेजना उनकी मजबूरी ही नहीं, बल्कि उनके उज्ज्वल भविष्य से जुड़ा सपना भी है। लेकिन जब स्कूल बसों का किराया, नियमों का पालन और बच्चों की सुरक्षा जैसे मुद्दे सामने आते हैं, तो जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होना जरूरी है।

स्थानीय स्तर पर अभिभावकों की शिकायत है कि गाडरवारा से सालीचौका के लगभग 15 किलोमीटर के मार्ग के लिए कुछ स्कूल बसों का मासिक किराया 1500 तक बताया जा रहा है। उनका सवाल है कि जब स्कूल में छुट्टी होती है, पैरेंट्स मीटिंग होती है या किसी अन्य कारण से नियमित कक्षाएं नहीं लगतीं, तब भी पूरा किराया क्यों लिया जाता है? अभिभावकों की मांग है कि स्कूल प्रबंधन बस किराए की स्पष्ट जानकारी दे। मासिक किराया किस आधार पर तय किया गया है, छुट्टियों के दौरान क्या व्यवस्था है और परिवहन शुल्क में कौन-कौन सी सुविधाएं शामिल हैं- इन सभी बातों को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में अभिभावकों की इन शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का ध्यान जाना जरूरी है। अभिभावकों की अपेक्षा है कि शिक्षा के साथ-साथ बच्चों के सुरक्षित आवागमन और परिवहन खर्च से जुड़े विषयों पर भी ठोस पहल हो। स्कूल प्रबंधन, प्रशासन और परिवहन विभाग को मिलकर ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, जिसमें बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि हो और अभिभावकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ या अनिश्चितता का सामना न करना पड़े।

मध्य प्रदेश @70: गौरव की विरासत, भविष्य की नई उड़ान

आज की बात



प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

मध्य प्रदेश केवल भारत के मानचित्र का हृदय नहीं, बल्कि करोड़ों सपनों, संघर्षों और संभावनाओं की जीवंत धड़कन है। यहाँ नर्मदा की अविरल धारा में जीवन है, महाकाल की आस्था में विश्वास है, साँची की शांति में संस्कृति है और खेतों में पसीना बहाते किसान के परिश्रम में समृद्धि की उम्मीद। यह वह प्रदेश है, जहाँ गौरवशाली अतीत हमारी पहचान है और नई पीढ़ी के सपने हमारे भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं।

01 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया मध्य प्रदेश आज अपनी स्थापना की 70वीं वर्षगाँठ मना रहा है। सात दशकों में हमने विकास की अनेक उपलब्धियाँ हासिल कीं, चुनौतियों का सामना किया और नई संभावनाओं के द्वार खोले। लेकिन आज अवसर केवल उपलब्धियों का उत्सव मनाने का नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने का भी है। क्योंकि असली प्रश्न यह नहीं कि पिछले 70 वर्षों में हमने क्या पाया, बल्कि यह है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कैसा मध्य प्रदेश बना रहे हैं?

विरासत से आगे, संभावनाओं का प्रदेश

मालवा की जीवंतता, निमाड़ की आत्मीयता, बुंदेलखंड का स्वाभिमान, बघेलखंड की सांस्कृतिक चेतना और महाकौशल की विरासत हमारी साझा पहचान हैं। खजुराहो की शिल्पकला, मांडू का स्थापत्य, ग्वालियर का संगीत और जनजातीय कलाएँ इस विविधता को समृद्ध करती हैं। इंदौर की स्वच्छता, पीथमपुर के उद्योग, रीवा की सौर ऊर्जा और प्रदेश की कृषि संपदा आधुनिक विकास की संभावनाएँ दिखाती हैं। लेकिन उपलब्धियों का वास्तविक मूल्य तभी है, जब उनका लाभ आम नागरिक तक पहुँचे। आज युवाओं के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है, पढ़ाई के बाद अवसर कहाँ हैं? डिग्री और रोजगार के बीच की दूरी घटानी होगी। कॉलेजों को उद्योगों से जोड़ना, कौशल प्रशिक्षण को व्यावहारिक बनाना और छोटे शहरों में आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृषि तकनीक तथा नए उद्यमों को बढ़ावा देना जरूरी है। बाहर जाकर सफलता पाना गर्व की बात है, लेकिन बेहतर भविष्य के लिए अपना शहर छोड़ना मजबूरी नहीं होना चाहिए।



शरद पूर्णिमा पर विशेष...

हमारी प्रतिभाएँ दुनिया में पहचान बनाएँ, लेकिन उनके सपनों को उड़ान देने की क्षमता अपनी मिट्टी में भी हो।

हर हाथ को अवसर, हर घर में खुशहाली

स्व-सहायता समूहों से लेकर प्रशासन, शिक्षा और उद्यमिता तक महिलाएँ अपनी क्षमता सिद्ध कर रही हैं। अब सुरक्षित आवागमन, बेहतर कार्यस्थल, कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार तक पहुँच को प्राथमिकता देनी होगी। महिलाएँ केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं, आर्थिक विकास की भागीदार और निर्माता भी हैं। जिस प्रदेश की बेटियाँ आत्मविश्वास से अपने सपने चुन सकें, उसकी प्रगति को नई दिशा मिलती है। मध्य प्रदेश के खेतों में अपार क्षमता है, लेकिन अधिक पैदावार हमेशा अधिक आमदनी नहीं बनती। किसानों को उचित मूल्य, भंडारण, खाद्य प्रसंस्करण, सिंचाई और बाजार से बेहतर जुड़ाव चाहिए। यदि कृषि आधारित उद्योग गाँवों के आसपास विकसित हों, तो किसान, युवा और स्थानीय व्यापारी तीनों लाभान्वित होंगे। छोटे दुकानदारों और उद्यमियों को भी सरल प्रक्रियाएँ, डिजिटल सुविधाएँ और नए बाजार चाहिए। समृद्ध प्रदेश वही है, जहाँ खेत की मेहनत और बाजार की रौनक दोनों बढ़ें। चौड़ी सड़कें, बड़ी इमारतें और निवेश विकास के संकेत हैं, लेकिन उसकी असली कसौटी आम आदमी का जीवन है। बच्चे को अच्छी शिक्षा, मरीज को समय पर उपचार, नौकरीपेशा व्यक्ति को सुरक्षित आवागमन, बुजुर्ग को सम्मान और युवाओं को रोजगार मिले, यही विकास की सार्थकता है। शहरों में स्वच्छ हवा, व्यवस्थित यातायात और बेहतर जलनिकासी हो। गाँवों में भी गुणवत्तापूर्ण स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएँ और डिजिटल सुविधाएँ उपलब्ध हों। विकास का वास्तविक हिसाब इमारतों की ऊँचाई से नहीं, लोगों के जीवन की गुणवत्ता से होना चाहिए।

मध्य प्रदेश : सपने भी, संकल्प भी

नर्मदा, क्षिप्रा, चंबल और बेतवा हमारी जीवनरेखाएँ हैं। जंगल, वन्यजीव और जलस्रोत केवल प्राकृतिक संपदा नहीं, भविष्य की सुरक्षा हैं। बढ़ता प्रदूषण, भूजल पर दबाव और बदलता मौसम चेतावनी दे रहे हैं कि पर्यावरण को विकास की कीमत नहीं बनाया जा सकता। आने वाली पीढ़ियाँ हमसे केवल यह नहीं पूछेंगी कि हमने कितनी इमारतें बनाईं; वे यह भी पूछेंगी कि उनके लिए कितनी नदियाँ स्वच्छ और कितने जंगल सुरक्षित छोड़े। वर्ष 2047 में जब स्वतंत्र भारत सौ वर्ष पूरे करेगा, तब मध्य प्रदेश की पहचान क्या होगी? क्या हमारे युवा रोजगार के लिए पलायन करने को विवश होंगे या दुनिया यहाँ अवसर तलाशने आएगी? क्या हमारे गाँव विकास के सहभागी बनेंगे? क्या हर बेटी निर्भय होकर अपने सपने पूरे कर सकेगी?

इन प्रश्नों के उत्तर केवल सरकारों को नहीं, हम सबको देने हैं। शिक्षक बेहतर शिक्षा दें, उद्योग रोजगार और कौशल में निवेश करें, व्यापारी ईमानदार उद्यमिता बढ़ाएँ, परिवार बेटियों को समान अवसर दें और नागरिक सार्वजनिक संपत्ति तथा प्रकृति की रक्षा करें। प्रदेश केवल नीतियों से नहीं, नागरिकों के चरित्र, परिश्रम और सामूहिक संकल्प से महान बनता है। स्थापना दिवस केवल उत्सव नहीं, आत्ममंथन और नए संकल्प का अवसर है। हमें ऐसा मध्य प्रदेश बनाना है, जहाँ विरासत हमारी पहचान हो, नवाचार हमारी शक्ति हो, संवेदनशीलता हमारा स्वभाव हो और खुशहाली हर घर तक पहुँचे। क्योंकि भारत का हृदय कहलाना हमारा गौरव है, लेकिन उसकी धड़कन को और मजबूत बनाना हमारी जिम्मेदारी।

गंगा को बहने दो, गंगा को निर्मल रहने दो

पर्यावरण की फिक्र



डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

हिमालय की गोद से निकलकर जब गंगा बहती है, तो उसकी धारा में भारत की आत्मा बहती है। वह केवल जल नहीं, जीवन, आस्था और संस्कृति की वाहिका है। पर आज उसी माँ गंगा का प्रवाह रुक रहा है और जल मैला हो रहा है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा है। यह नदी उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भू-भाग को सींचती है। देश की प्राकृतिक सम्पदा ही नही जन-जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। 2,071 किमी तक आस्था तक भारत तथा उसके बाद बांग्लादेश (कुल 2,525) में अपनी लंबी यात्रा करते हुए यह सहायक नदियों के साथ दस लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है। पतित पावनी गंगा की निर्मलता तथा अविरलता से जैव विविधता समृद्धि होगी। आज भारत की सबसे पूजनीय नदी गंगा को सीवरेज, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट और अन्य कारणों से "अविरल और निर्मल" बने रहने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक नदी तभी संपूर्ण होती है, जब यह समस्त घाटी क्षेत्र से, सभी मौसमों में एक अविरल धारा की तरह बहती रहे और उसमें एक भौगोलिक इकाई और पर्यावरणीय इकाई का गुण हो। निर्मल धारा का मतलब है बिना किसी प्रदूषण का बहना। अविरल धारा का मतलब होगा कि बिना किसी बाधा या रुकावट के बहना, यानी नदी लागतार बहती रहे। ऐसा इसलिए होना चाहिए ताकि नदी में या सागर में बिना किसी बाधा के मिल सके।

''अविरल गंगा से ही निर्मल गंगा संभव" यह कथन न केवल पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को दर्शाता है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। गंगा, जिसे हम नदियों की माँ कहते हैं, भारतीय सभ्यता की धारा है। इतिहास के पन्नों में, वेदों की ऋचाओं में और अतीत की गौरव गाथाओं में, गंगा का निरंतर प्रवाह जीवन का प्रतीक रहा है। लेकिन आज, हमारी यह प्राचीन धरोहर प्रदूषण, अतिक्रमण और उपेक्षा की मार झेल रही है। गंगा का निर्मल प्रवाह तभी संभव है जब वह अविरल बह सके। जब हम गंगा की बात करते हैं तो यह केवल एक नदी नहीं, बल्कि एक सम्पूर्ण इकोसिस्टम की बात होती है। इसके तटों पर करोड़ों लोग रहते हैं, इसकी मिट्टी में न जाने कितने जीव-जन्तु, पेड़-पौधे और जलचर अपना घर बनाए हुए हैं। गंगा की अविरलता में जीवन के अनेक पहलू जुड़े हुए हैं। यह नदी न केवल जलधारा का संकलन करती है, बल्कि हमारे धार्मिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक ताने-बाने को भी अपने साथ जोड़कर बहती है। यह समझना जरूरी है कि गंगा की अविरलता केवल जल प्रबंधन से संभव नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए सामाजिक जागरूकता और हमारी सोच में बदलाव आवश्यक है। आज गंगा को बहने में जितनी कठिनाइयाँ हो रही हैं, वे मानव-निर्मित हैं। उद्योगों के प्रदूषण से लेकर गंगा के किनारों पर फैलते शहरीकरण तक, यह सब मिलकर गंगा की जीवनधारा को बाधित कर रहे हैं। क्या यह सही नहीं होगा कि हम अपने उपभोग और विकास की प्राथमिकताओं को पुनः परिभाषित करें? देखा जाए तो सरकारें 1985 से ही गंगा को स्वच्छ करने के लिए प्रयासरत है लेकिन हजारों करोड़ रुपए खर्चे करने के बावजूद आज भी दशा वैसी ही बनी हुई है। हमारी संस्कृति में गंगा को देवी का स्थान दिया गया है। जिस गंगा को हमने देवी मानकर पूजा है, उसी गंगा को हमने जल-मल और अपशिष्ट का स्रोत बना दिया है। गंगा को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी न केवल सरकार की, बल्कि हर व्यक्ति की है जो इस धरती पर रहता है। हमें यह समझना होगा कि गंगा की अविरल धारा तभी बनी रहेगी जब हम उसे सम्मान देंगे। ऊंचे-ऊंचे बांध बनाकर उसकी अविरलता को खत्म कर दिया गया और जब अविरलता नही होगी तो निर्मलता कैसे होगी? हम गंगा को खतरनाक स्तर पर ला चुके हैं। सिंचाई और हाइड्रोपावर के लिए बांध बना दिए गए हैं, पानी को मनचाही दिशा में ले जाने के लिए बैराज बना दिए गए हैं। वनों की कटाई और खनन आदि ने गंगा के जलबहाव क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया है। आज जरूरत है कि हम गंगा की अविरलता के साथ-साथ उसकी निर्मलता की बात करें। सरकारी योजनाओं से लेकर स्थानीय जागरूकता अभियानों तक, हमें सभी पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। जल-प्रदूषण से मुक्त गंगा के बिना यह मुमकिन नहीं कि वह अपने सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप में जीवित रह सके। गंगा को बचाना केवल सरकार का नहीं, हर नागरिक का कर्तव्य है। जब तक उसका नैसर्गिक प्रवाह अविरल नहीं रहेगा, तब तक उसकी निर्मलता संभव नहीं। हमें बांधों, बैराजों, अतिक्रमण और प्रदूषण से गंगा को मुक्त कराना होगा। गंगा की एक स्वच्छ धारा ही गाँव, शहर, खेत और जीव-जंतुओं के लिए जीवनदायिनी होगी।

प्रतिबंध के बावजूद भी निकल रहे भारी वाहन, पुलिस एवं राजस्व के संयुक्त दल ने चालानी कार्यवाही की

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। टिमरनी नगर में बन रहे रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण के चलते आवागमन में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। साथ ही ब्रिज के बाजू से निकलने वाले मार्गो का भी निर्माण कार्य चल रहा है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कई बार बस स्टेशन क्षेत्र से छिदगांव रोड तक भारी वाहनों के निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है किंतु उसके बावजूद भी लगातार भारी वाहन इस मार्ग से निकल रहे है जिसके कारण रहवासियों, राहगीरों, स्कूली बच्चों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं वाले वाहनों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही जाम की स्थिति रोजाना बन रही। लगातार शिकवा शिकायतों के बाद एसडीएम असवन राम चिरामन के निर्देश पर राजस्व एवं पुलिस दल ने आज सख्त कार्रवाई करते हुए इस क्षेत्र से निकल रहे भारी वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए सम्मन शुल्क वसूली की।

छत्तीसगढ़ शासन

सुशासन के संकल्प से

नवा रायपुर बन रहा

एजुकेशन हब

प्रबंधन | उद्यमिता | नवाचार

NSTI
नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट

NIELIT
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी

NMIMS
नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज

NIFT
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी



NFSU
नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी कैम्पस

R.O. No. : 14133/ 1

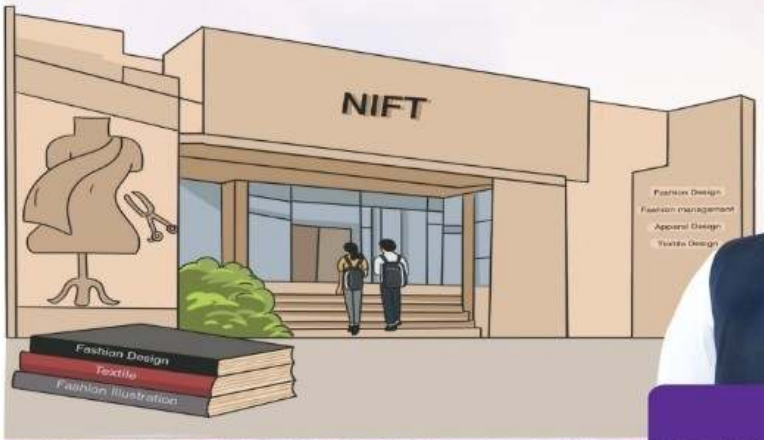



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

/ChhattisgarhCMO | /DPRChhattisgarh | www.dprcg.gov.in

सुशासन से समृद्धि की ओर

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)